



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 01.08.2026

25,000/- रुपये के इनामिया, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना / गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/अपराधियों की रोकथाम एवं इनामिया, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में दिनांक 01.08.2026 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 25,000/- का इनामिया/वांछित अभियुक्त शीलू उर्फ शीलेन्द्र पुत्र राधेश्याम को पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया।

नोट:- अभियुक्त शीलू उर्फ शीलेन्द्र मु0अ0सं0 47/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा में 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 47/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शीलू उर्फ शीलेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी परोख थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी उम्र करीब 50 वर्ष आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शीलू उर्फ शीलेन्द्र मिश्रा

1. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

2. मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

3. मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन सिविल लाइन जनपद इटावा।

4. मु0अ0सं0 79/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

5. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा

6. मु0अ0सं0 47/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, हे0का0 मोहित कुमार, का0 गौरव उपाध्याय, रि0म0का0 प्रगति वशिष्ठ, चालक का0 मनोज कुमार।